

प्रति,

विद्युत प्रकाश गुप्त,
संयुक्त राष्ट्र,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

राष्ट्रीय
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रोग्रेसिव बिहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 178 अनुभाग

तल्लक: दिनांक: 15 मई, 2004

विषय:- सेन्ट आर. सी. साइंटिफिक कान्वेन्ट स्कूल कैराना मुजफ्फरनगर को सी०बी०एस०ई.
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मैं यह कहने का
निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी. बी. एस. ई. नई दिल्ली से
संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित
प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सौसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया
जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रकृत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों
को लक्ष्य के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद द्वारा
संयोजित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से
अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी
और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैश्व शिक्षा
परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक
शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इकाई मिशन
नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों
की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०मा० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा
प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो
जायेंगे ।

- 5- संस्था के वैश्विक एवं विदेशीकरण कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उपचर आध्यक्षिक विभागों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विधालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की ढूँढ़ या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

शुभदीय,

शिव प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।

पू०संस्था एवं विनायक तैव

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ।
- 3- जिला विधालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विधालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, सेंट आर. सी. साइंटिफिक कान्वेन्ट स्कूल, कैराना, मुजफ्फरनगर साई बुरा।
- 6-

आज्ञा से,

शिव प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।